

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
23-10-2021	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहती, मधुबनी सी०सी०ए० वाद संख्या-114/2021-22 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत सरकार बनाम बद्री मंडल</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 4038/सी.आर दिनांक-14.10.2021, द्वारा अपराधकर्मी बद्री मंडल, पिता- जयजय लाल मंडल, सा०-झंझारपुर वार्ड नं० 13, थाना-झंझारपुर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।</p> <p>प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-20.10.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक-23.10.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 23.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।</p> <p>अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया है कि इनके पक्षकार निर्दोष व्यक्ति हैं। इनके पक्षकार का वर्तमान में इनका उम्र 62 वर्ष है। इनके पक्षकार का गाँव के राजनीति के कारण गलत केस में फँसा कर इनके विरुद्ध वाद दर्ज कर दिया गया है। इनके पक्षकार न ही अपराधी हैं और न ही आपराधिक कार्य में लिप्त रहते हैं। इनके पक्षकार गरीब व्यक्ति हैं और मजदूरी करके जिवन बसर करते हैं। इनके पक्षकार कभी भी शराब का धंधा नहीं किया है। इनके पक्षकार एक सामान नागरिक है और न अपराध करने वाला व्यक्ति है। झंझारपुर थाना काण्ड सं०-172/16, 58/18, 95/18, 50/20, 55/21, एवं झंझारपुर थाना सनहा सं०-497/21 दिनांक 17.09.21, 640/21 दिनांक 21.09.21 एवं 773/21 दिनांक 25.09.21 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।</p> <p>यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा अंकित किया गया है कि</p> <p style="text-align: center;"><i>"असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी बद्री मंडल सक्रिय एवं आदतन अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा शराब तस्करी करना और इसके आड़ में अपराधियों को प्रश्न देना तथा अपराध को बढ़ावा देना है। ये वर्तमान में ये जमानत पर मुक्त है। इनका अपराधियों से साठ-गाँठ होने के कारण आम जनता इनके विरुद्ध आवज उठाने से डरते है। आसूचना संकलन से यह बात प्रकाश में आई है कि आगामी पंचायत चुनाव 2021 में ये अपराधियों से मिलकर बड़े पैमाने पर शराब का भंडारण कर पंचायत चुनाव पर प्रतिकूल</i></p>

प्रभाव डाल सकते हैं। इनके थाना क्षेत्र में रहने से आगामी पंचायत चुनाव एवं पर्व त्योहार में विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. झंझारपुर थाना काण्ड संख्या-172/16 दिनांक 03.12.16
धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं0-141/17 दिनांक 28.02.17
 02. झंझारपुर थाना काण्ड संख्या-58/18 दिनांक 16.05.18
धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30(ए)/37बी0सी0 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं0-190/18 दिनांक 13.09.18
 03. झंझारपुर थाना काण्ड संख्या-95/18 दिनांक 12.07.18
धारा 290 भा0द0वि0 एवं 30(ए)/37बी बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं0-191/18 दिनांक 29.09.18
 04. झंझारपुर थाना काण्ड संख्या-50/20 दिनांक 14.04.20
धारा 272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 में आरोप पत्र सं0-124/21 दिनांक 24.08.21
 05. झंझारपुर थाना काण्ड संख्या-55/21 दिनांक 08.03.21
धारा 272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018
 06. झंझारपुर थाना सनहा संख्या- 497/21 दिनांक 17.09.21
 07. झंझारपुर थाना सनहा संख्या- 640/21 दिनांक 21.09.21
 08. झंझारपुर थाना सनहा संख्या- 773/21 दिनांक 25.09.21
- इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।'

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं। झंझारपुर थाना काण्ड सं0-172/16, 58/18, 95/18, 50/20, 55/21, एवं झंझारपुर थाना सनहा सं0-497/21 दिनांक 17.09.21, 640/21 दिनांक 21.09.21 एवं 773/21 दिनांक 25.09.21 दर्ज हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपरोक्त कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपरोक्त हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी बन्नी मंडल, पिता- जयजय लाल मंडल, सा0-झंझारपुर वार्ड नं0 13, थाना-झंझारपुर, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से बेनीपट्टी थाना में प्रत्येक तिथि को सवेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक 24.11.2021 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्योरा समाप्त करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, बेनीपट्टी निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी, संधारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी बन्नी मंडल, पिता- जयजय लाल मंडल, सा0-झंझारपुर वार्ड नं0 13, थाना-झंझारपुर, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी बन्नी मंडल, पिता- जयजय लाल मंडल, सा0-झंझारपुर वार्ड नं0 13, थाना-झंझारपुर, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, झंझारपुर थाना को भेजें। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, बेनीपट्टी थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजें, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजें।


(लेखापित्त एवं संशोधित)

23/11/21
जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

23/11/21
जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

ज्ञांपाक सं० 1252 / जि०वि०न्या०, मधुबनी दिनांक 16/11/21

- तिलिपि :- थानाध्यक्ष, झंझारपुर को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
एकप्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।
- तिलिपि :- थानाध्यक्ष, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- तिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।


16/11/21